कार्यालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर (राज.)

क्रमांकः 229 **दिनांक–06.03.2026**

रिमाण्ड ड्यूटी बाबत् संशोधित कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के रिमाण्ड ड्यूटी आदेश क्रमांक 182 दिनांक 23.02.2026 द्वारा माह मार्च 2026 में अवकाशों के दिन सीकर जिले की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई हेतु न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी , प्रशासनिक कारणों से पूर्व आदेश क्रमांक 182 दिनांक 23.02.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती शिखा शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या–01, सीकर के स्थान पर निम्न अधिकारी की निम्न प्रकार से ड्यूटी लगाई जाती हैः–

क्र.सं.	नाम न्यायिक अधिकारी	पदनाम	अवकाश दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री हिमांशु कुमावत	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर	08 मार्च, 2026

नोटः–शेष रिमाण्ड ड्यूटी के संबंध में कार्यालय आदेश संख्या 182 दिनांक 23.02.2026 यथावत रहेगा।

(विकास कुमार स्वामी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सीकर (राज.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)

क्रमांक– 230– 240 **दिनांक–06.03.2026**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सीकर,
2. श्रीमान् सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर,
3. सम्बन्धित अधिकारी सर्व **श्री हिमांशु कुमावत/श्रीमती शिखा शर्मा**
4. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, सीकर वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र,
5. उप–निदेशक, अभियोजन विभाग, सीकर,
6. लोक अभियोजक, जिला न्यायालय, सीकर,
7. प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय, सीकर,
8. अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर सीकर,
9. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम, सीकर,
10. जिला कारागृह, सीकर,
11. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय सीकर सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालयों को मेल करें तथा जिला न्यायालय सीकर की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
12. आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड।

(विकास कुमार स्वामी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सीकर (राज.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)